न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री महावीरसिंह, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 20/2014

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोज कर्नावत पुत्र स्व. ज्ञानचन्द कर्नावत जाति–जैन, अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली		1. ढगलू पुत्र मिसरू 2. भागू पुत्र मिसरू 3. जेठा पुत्र मिसरू 4. जसकीदेवी पत्नि हीरालाल जाति–रेगर, निवासी–ढ़ाणी केसरपुरा तहसील–जैतारण, जिला–पाली 5. तहसीलदार, जैतारण तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 **तारीख रजू:.23/01/2014**

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री अमित त्रिपाठी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 10/07/2017**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी मैसर्स अम्बुजा सीमेन्ट्स, यूनिट–राबड़ियावास कम्पनी एक्ट के तहत् पंजीबद्ध लिमिटेड कम्पनी हैं व इस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा कम्पनी के बिजनेस हैड श्री जगदीश तोषनीवाल को कम्पनी की जमीन व सम्पति बाबत् सक्षम न्यायालय में वाद पेश करने, वाद पर हस्ताक्षर करने, बयान देने या किसी भी कम्पनी के अधिकारी / कर्मचारी को वाद की कार्यवाही हेतु नियुक्त व मुकर्रर करने का अधिकार दिया हुआ हैं। जगदीश तोषनीवाल बिजनेस हैड ने श्री मनोज कर्नावत वरिष्ठ उपाध्यक्ष (वाणिज्यिक) को सभी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही व वाद न्यायालय में प्रस्तुत करने व करवाने का अधिकार दिया गया हैं। उक्त कम्पनी के बिजनेस हैड द्वारा दिये गये अधिकार के पत्र की फोटो प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। जिसके तहत् श्री मनोज कर्नावत द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा हैं। सरहद मौजा–राबड़ियावास, पटवार मण्डल–राबड़ियावास, तहसील–जैतारण में अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड कम्पनी का एक वृहद सीमेन्ट प्लान्ट कार्यरत व उत्पादनरत हैं व उक्त सीमेन्ट प्लान्ट में सीमेन्ट उत्पादन हेतु कच्चा माल लाने व उत्पादित सीमेन्ट बाहर डिस्पेच करने के यातायात व ट्रन्सपोर्ट बाबत् भीरतीय उत्तर–पश्चिम रेल्वे द्वारा बांगड़ ग्राम–ब्यावर से रास तहसील–जैतारण तक रेल्वे की ओर से रेल्वे लाईन बिछाई जा रही हैं। रेल्वे द्वारा रास में रेल्वे स्टेशन स्थापित कर रेल्वे लाईन डाली जाकर यातायात व ट्रान्सपोर्ट शुरू किया जायेगा। रेल्वे एवं कम्पनी के मध्य हुये समझौते के अनुसार रेल्वे स्टेशन रास से वादी के अम्बुजा सीमेन्ट्स प्लान्ट तक वादी के खर्चे से रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित हैं। इस बाबत् सर्वे भी किया जा चुका हैं व रिको राज0 जयपुर के भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा उक्त रेल्वे लाईन के सर्वे में आई निजी खातेदारी भूमि की

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

अवाप्ति की कार्यवाही की जा रही हैं व लम्बित हैं। रेल्वे द्वारा अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड, यूनिट-राबड़ियावास तक किये गये रेल्वे के सर्वे अनुसार जिन निजी खातेदारों की भूमि जिसमें से होकर रेल्वे लाईन बिछाई जानी प्रस्तावित हैं से वादी कम्पनी द्वारा खातेदारों से उक्त रेल्वे लाईन मे काम आने वाली कृषि भूमि के खातेदार काश्तकारों को बाजारू दर से राशि अदा कर खातेदारी अधिकार व खातेदारी भूमि खरीद कर कम्पनी के नाम दर्ज हो चुकी हैं। प्रस्तावित रेल्वे लाईन के खरीद की गई भूमि मौके पर कम्पनी को बेचान करने वाले खातेदारों की मौके पर उक्त भूमि के सहखातेदार काश्तकारों के मध्य बंटी हुई थी। मौके पर वादी कम्पनी को बेची गई भूमि का बेचानकर्ताओं का मौके पर अलग से कब्जा काश्त था। वह भूमि मौके पर वादी कम्पनी को सुपुर्द कर कब्जा सम्भला दिया गया, जिस पर वादी कम्पनी काबिज हैं। मगर वादी कम्पनी के कब्जे व हिस्से की अन्य सहखातेदार काश्तकार की कृषि भूमि जमाबन्दी (खतौनी) में शामलाती खाता दर्ज हैं व लगान भी शामलाती हैं, नक्शे ट्रेस में भी सम्पूर्ण भूमि एक दर्शायी गई हैं। वादी कम्पनी के हिस्से की भूमि मौके पर जरिये तरमीम अलग नहीं दर्शाई गई हैं। ऐसी सूरत में वादी कम्पनी की खरीदसुदा कब्जासुदा जमीन खसरा नम्बर 270 रकबा 33-17 बीघा किस्म बारानी दोयम लगान 8.44 रूपये की वादी की 339/677 हिस्से की भूमि यानि 16-19 बीघा भूमि खसरा नम्बर 270 के नक्शें में मौके अनुसार लाल रंग से डाट लाईन रेखाकिंत कर दर्शाई गई हैं तथा प्रस्तावित रेल्वे लाईन -।-।-।-।- आसमानी रंग से दर्शायी गई हैं। जिसका नजरी नक्शा वाद के साथ पेश की हैं। वाद की खरीदसुदा भूमि की जमाबन्दी (खतौनी) सम्वत् 2065 से 2068 बाबत् खसरा नम्बर 270 रकबा 33-17 बीघा किस्म बारानी दोयम सरहद मौजा-रास-।, तहसील-जैतारण की प्रमाणित प्रतिलिपि दावे के साथ पेश की हैं, जिसे दावे का एक भाग माना जावें। उपरोक्त नजरी नक्शा अनुसार लाल रंग डाट लाईन से दर्शाये गये। वादी के 339/677 हिस्से की भूमि यानि 16-19 बीघा का तकास्मा वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के करवाने के अधिकारी हैं। वादी के उक्त भूमि का मौके पर पत्थरगढ़ कर नेखमबन्दी कर मौके पर बंटी जावें तथा वादी की उक्त नक्शा ट्रेस में तरमीम कर अलग से दर्शाई जावें एवं भूमि का वादी कम्पनी के नाम का अलग से खाता दर्ज किया जावें। वादी के 339/677 हिस्से की भूमि यानि 06 बीघा का लगान भी अलग से कायम किया जावें। जरिये तकास्मा वादी कम्पनी ऐसा करवाने की अधिकारी हैं। इसलिये दावा तकास्मा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण संख्या 1 से 4 सहखातेदार काश्तकार हैं, के विरूद्ध वाद पेश किया हैं। वाद तकास्मा आराजी वादी कम्पनी अपनी खरीदसुदा खातेदारी हिस्से की भूमि जो नजरी नक्शें में लाल रंग डाट लाईन से दर्शाई हैं, मैं बतौर खातेदार मालिक भोक्ता के उक्त भूमि व भू-भाग में रेल्वे लाईन डालकर एवं बतौर मालिक के सभी प्रकार से उपयोग / उपभोग कर इसमें भविष्य में किसी प्रकार की दखलन्दाजी करने से प्रतिवादी को रूकवाने का अधिकारी हैं। प्रतिवादी द्वारा ऐसा किया गया, तो वादी कम्पनी को असीम हानि होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं हैं। प्रतिवादी द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देगा, जिस पर मौके पर टन्टा फसाद होगा, ऐसा होने पर वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी फौजदारी मुकदमें दायर करने पडेगें। जिससे विविध मुकदमेंबाजी होगी तथा वादी कम्पनी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः दावा

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। प्रश्नगत कृषि भूमि के लैण्ड होल्डर तहसीलदार, जैतारण हैं, जो तकास्मा आराजी में वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं, उनके विरूद्ध कोई अनुज्ञा नहीं चाही हैं। बिनायवाद दिनांक 09/01/2014 को वादी कम्पनी द्वारा प्रतिवादीगण को बमुकाम-रास-।, तहसील-जैतारण मौके पर हो रखे बंटवाड़ा अनुसार बंटवाड़ा कर जमीन का तकास्मा करने का कहने पर, प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने पर तकास्मा होने तक बमुकाम-राबड़ियावास में पैदा हुआ। नियन्त्रण जारी हैं, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार सयामत अदालत बाला के हैं।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकालतनामा पेश किया गया, जो सा0मि0 हैं। वकील प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा पेश करने का समय चाहा गया। वकील प्रतिवादीगण को अनेकानेक अवसर दिये जाने के बावजूद जबाबदावा पेश नहीं करने से जबाबदावा बन्द किया गया।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्यायालय हाजा में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस वकील वादी पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादी एवं प्रतिवादीगण राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तकासमा चाहते हैं। लिहाजा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवाडा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-रास-।, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 270 रकबा 33-17 बीघा किस्म बारानी दोयम भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2016/1577 दिनांक 31/08/2016 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/2017/3077 दिनांक 07/07/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-रास-।, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 270 रकबा 29-15 बीघा किस्म बारानी दोयम की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	ढगलू भागु जेठा पि0 मिसरू 1/2, जिसकी पत्नि हीरालाल 1/2 कौम–रेगर सा0 केसरपुरा खातेदार।	270	14-18-00	बा0दो0	3.73 रू.
2	अम्बुजा सीमेन्ट्स लिमिटेड वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री मनोज कर्नावत पुत्र स्व. ज्ञानचन्द कर्नावत जाति–जैन, अम्बुजा सीमेन्ट टाउनशिप राबड़ियावास, तहसील–जैतारण, जिला–पाली	270/2 270/3	13-07-00 1-10-00	बा0दो0	3.71 रू.
योग		**2**	**14-17-00**	**बा0दो0**	**3.71 रू.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय बंटवाड़ा रिपोर्ट की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 10/07/2017 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–रास में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)